प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.07.2025

- **महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात में वादिनी मुकदमा के द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 231/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम संजय पुत्र अशोक राजपूत निवासी ग्राम मोहद्दीपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को दिनांक 01.07.2025 को सकुशल बरामद कर लिया गया। नियमानुसार पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस और मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। जिसमें थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.07.2025 को समय लगभग 13.10 बजे अभियुक्त संजय उपरोक्त को नहर पुल झींझक के पास रूरा रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय पुत्र अशोक राजपूत उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मोहद्दीपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 231/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मंगलपुर पुलिस।